जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 03.02.2021

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा बिजली सामान चोर गिरोह के 04 सदस्य किये गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल एवं परिवहन में प्रयुक्त वाहन बरामदः-

दिनांक 02.02.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी के अनावरण एवं चोरी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सूचना पर लिलोन नाला के पास से बिजली सामान चोर गिरोह के 04 सदस्यों को चोरी का स्टे रॉड लोहा 30, स्टे वायर लोहा 02 बण्डल, एल्यूमीनियम तार 01 बण्डल, कटिंग तार एल्यूमीनियम 02 कट्टे, वी क्रास लोहा 01 एवं परिवहन में प्रयुक्त ट्रैक्टर-ट्राली बिना नम्बर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बरामद माल के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1- साकिब पुत्र मुर्सलीन निवासी ग्राम अल्हेडी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
2- शाबाज पुत्र यासीन निवासी पीकी थाना कोतवाली जनपद सहारनपुर।
3- राशिद पुत्र महबूब निवासी पीकी थाना कोतवाली जनपद सहारनपुर।
4- सलमान पुत्र हैदरअली निवासी पीकी थाना कोतवाली जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

1- स्टे रॉड लोहा 30
2- स्टे वायर लोहा 02 बण्डल।
3- एल्यूमीनियम तार 01 बण्डल।
4- कटिंग तार एल्यूमीनियम 02 कट्टे।
5- वी क्रास लोहा 01
6- परिवहन में प्रयुक्त स्वराज 744 FE ट्रेक्टर-ट्राली बिना नम्बर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 श्री विमल कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2- है0का0 नरेश थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
3- का0 अनुज कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

88
superdry

<u>थाना कोतवाली पुलिस द्वारा पुलिस अभिरक्षा में लाए चोरी के अभियुक्त की निशादेही पर चोरी के 05 मोबाईल व घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार किये बरामदः-</u>

दिनांक 08/09.01.2021 की रात्रि थाना कोतवाली शामली के कमला मार्केट स्थित मोबाईल की दुकान का शटर तोड़कर दुकान से एल0ई0डी0, बैटरा, मोबाईल फोन, नकदी व अन्य सामान अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिये गये थे, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 10.01.2021 वादी श्री फारूक पुत्र इमदाद निवासी मौहल्ला काजीवाड़ा, थाना कोतवाली शामली द्वारा थाने पर लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु थाना प्रभारी कोतवाली शामली को निर्देशित किया। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सर्विलांस की मदद से इस घटना का अनावरण करते हुए दो अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर चोरी किए गए माल की बरामदगी करते हुए जेल भेजा गया। घटना में शामिल तीसरा अभियुक्त राहुल पुत्र सोमपाल उर्फ सोम्मा निवासी खालापट्टी पंसारियान थाना कोतवाली जनपद शामली फरार हो गया था, जिसके द्वारा माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 शामली के समक्ष दिनांक 22.01.2021 को हाजिर होकर जेल चला गया था, जिसके संबंध में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा न्यायालय से उक्त अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेने के लिए दिनांक 02.02.2021 को प्रत्यावेदन किया गया था। उक्त संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली पुलिस को अभियुक्त राहुल पुत्र सोमपाल का आज दिनांक 03.02.2021 को पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड स्वीकृत किया गया, जिसको थाना कोतवाली शामली पुलिस अभिरक्षा में लेकर वादी फारूक पुत्र इमदाद की मोबाइल की दुकान से चोरी किए 05 मोबाइल एवं अभियुक्त द्वारा घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस के बरामद कराए गये है। बरामदगी के संबंध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्तः-</u>

1- मु0अ0सं0 17/21 धारा 457,380,411 भादवि0 थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2-मु0अ0सं0 28/21 धारा 307,34 भादवि0 थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>अभियुक्त की निशादेही पर बरामदगी का विवरणः-</u>

1- घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस।

2- दुकान के चोरी के 05 मोबाइल।

<u>थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामदः-</u>

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा दिनांक 02.02.2021 को समय 22.10 बजे सैनिक चैक माजरा रोड से एक वारण्टी मोहसीन पुत्र नसीम अंसारी निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली जनपद शामली को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय ए0डी0जी0 पोक्सो द्वारा थाना कोतवाली शामली के मु0अ0सं0 938/17 धारा 354 भादंवि व 7/8 पोक्सो अधिनियम में वारण्ट जारी किया गया था, जिसके कब्जे से एक नाजायज चाकू बरामद हुआ है, जिसके सम्बन्ध में थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>थाना आदर्शमण्डी</u>

<u>थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा खाईबाडी करता 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से पर्चा सट्टा, गत्ता पेन्सिल व 370/- रुपये नकद बरामदः-</u>

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा दिनांक 02.02.2021 को समय 22.25 बजे पी0एन0बी0 बैक के पास तोल के बाराबर से खाईबाडी करते 01 अभियुक्त कपिल कुमार पुत्र ओम प्रकाश निवासी मौहल्ला आजाद नगर कस्बा बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पर्चा सट्टा, गत्ता पेन्सिल व 370/- रुपये नकद बरामद हुए है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर मु0अ0सं0 25/2021 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया है।

<u>थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा आज दिनांक 03.02.2021 को समय 11.15 बजे गुरूद्वारा तिराहा से अभियुक्त पंकज पुत्र धर्मेन्द्र निवासी सिक्का थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना आदर्शमण्डी के मु0अ0सं0 22/21 धारा 363,366 भादवि में वांछित चल रहा था।